# कार्यालय नगर परिषद, मधुबनी

पत्रांक :- 1196

प्रेषकः—

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, मधुबनी

सेवा में,

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

A- 10/10/18

मधुबनी, दिनांकः 06/10/2018

**विषयः— अंकेक्षण सं0 341/2013—14 का अनुपालन प्रतिवेदन के सम्बन्ध में।**

S.O.7 10.10.18

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि अंकेक्षण सं0 341 दिनांक 2013—14 का अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करते हुये एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु0 :—यथोक्त।

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, मधुबनी

# कार्यालय नगर परिषद मधुबनी

## अंकेक्षण प्रतिवेदन 341/13 (अंकेक्षित अवधि 2011 –12 एवं 2012–13 का अनुपालन प्रतिवेदन

| क्रम सं0 | कंण्डिका सं0 | संक्षिप्त अंकेक्षण आपत्ति | अनुपालन |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | प्रस्तावना | जबाब से संबंधित नहीं है। |
| 2 | 2 | प्रशासन | तथैव |
| 3 | 3 | लेखा परीक्षा का क्षेत्र | तथैव |
| 4 | 4 | पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन | पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन स्थानीय लेखा परीक्षक को भेजा जा चुका है। शीर्ष उपरोक्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन सं0 644/11–12 का अनुपालन प्रतिवेदन लम्बित है जिसे इसके साथ भेजा जा रहा है। |
| 5 | 5 | आंतरिंक लेखा परीक्षा नहीं कराया जाना | इस नगर परिषद में आंतरिक लेखा परीक्षा के लिये कोई समिति नहीं है। किन्तु कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर लेखा की जाँच की जाती है। |
| 6 | 6 | अंकेक्षण की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ | इसका अनुपालन संबंधित कण्डिका में दिया गया है। |
| 7 | 7 | नगर परिषद द्वारा संधारित विभिन्न सहायक रोकड़ बहियों के आय–व्यय की स्थिति। बैंक समाधान विवरणी नहीं बनाया जाना। | बैंक समाधान विवरणी के इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 8 | 8 | चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की **राशि** (30.30 लाख) का विचलन।<br>सफाई कार्य पर विचलन – 30.13 लाख<br>प्रशासनिक भवन पर व्यय – <u>3.42 लाख</u><br>कुल – 33.55 लाख | अंकेक्षण **प्रतिवेदन** में स्वीकृत मद का विवरण दिया गया है जिसके अनुसार क्रमांक 3 एवं 4 में सफाई व्यवस्था पर खर्च का प्रावधान है एवं क्रमांक 2 पर विकास कार्य है। उक्त मदों पर ही राशि खर्च की गई है। अतः इसमें विचलन का प्रश्न नहीं है। |
| 9 | 9 | तेरहवीं मद के मार्गदर्शिका के **विरुद्ध** 161.33 लाख का व्यय। | अंकेक्षण प्रतिवेदन में स्वीकृत मद का विवरण दिया गया है, जिसमें क्रमांक 1 पर 50 प्रतिशत आवंटन अपशिष्ट ठोस प्रबंधन के लिये है। इसी मद पर कुल राशि व्यय की गई है एवं बोर्ड का स्वीकृत भी प्राप्त है। अतः इसमें अनियमत व्यय का प्रश्न नहीं है। |
| 10 | 10 | वेपर लाईट खरीद तथा मरममति में 30.31 लाख का अनियमित व्यय एवं 3,36,105 **रुपये** का विपत्र कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा **पारित** नहीं था। | वेपर लाईट की खरीद आमंत्रित किये गए कोटेशन के आधार पर न्यूनतम निविदादाता से किया गया था एवं गुणवत्ता की जाँच सक्षम पदाधिकारी द्वारा किया गया था। अतः इसमें अनियमितता का प्रश्न नहीं है। पुनः 3,36,105 रुपये का विपत्र कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा पारित कर दिया गया है। साक्ष्य संलग्न। |
| 11 | 11 | योजना पूर्ण करने में विलम्ब पर **जुर्माना** (15.88 लाख) की कटौती नहीं। | उक्त योजनाएँ बहुत पुरानी है जिस पर अब विलम्ब शुल्क काटना संभव नहीं प्रतीत होता है। अंकेक्षण के बाद से योजनाओं के पूर्ण करने में विलम्ब पर विलम्ब शुल्क काटा जा रहा है। इसके साथ साक्ष्य संलग्न है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 12 | 12 | स्वयंसेवी संस्थान को अनियमित भुगतान–<br>1) एकरारनामा के अनुसार 15 वार्ड तक सफाई कार्य करवाना था किन्तु मुख्य पार्षद् की अनुमति से वार्ड 15 के बदले 20 वार्ड में सफाई कार्य करवाया गया। | सफाई की आवश्यकता 15 के बदले 20 वार्डों में ज्यादा थी। अतः वार्ड 20 का चयन किया गया। |
| | | 2) एकरारनामा में वर्णित दर से अधिक दर पर भुगतान। | अभिकर्त्ता के आवेदन पर लेवर चार्ज में वृद्धि को देखते हुए वर्धित दर पर भुगतान करने की अनुमति मुख्य पार्षद द्वारा दी गई थी। अतः इसमें अधिक भुगतान का प्रश्न नहीं है। |
| 13 | 13 | बकाया दुकान किराया की राशि 8,70,393 रुपये की वसूली नहीं। | दुकान किराया की वसूली की जा रही है। अगले अंकेक्षण में अद्यतन स्थिति स्पष्ट कर दी जायेगी। साक्ष्य संलग्न। |
| 14 | 14 | निविदा प्रणाली में अनियमितताएँ | इस कण्डिका में पी.डब्लू.डी. के विभिन्न कण्डिकाओं का उल्लेख किया गया है। यह स्थानीय निकाय है जहाँ पार्षद की स्वीकृति से कार्य की जाती है। भविष्य में उक्त प्रावधानों का पालन किया जायेगा। |
| 15 | 15 | संचार (मोबाईल) टावरों पर 29.24 लाख शुल्क बकाया रहना। | बकाया रखने वाले संचार टावरों के मालिक को नोटिस भेजा गया है। (छायाप्रति संलग्न) शुल्क नहीं प्राप्त होने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। |
| 16 | 16 | योजना में अधिक भुगतान 1.05 लाख।<br>(प्राक्कलित राशि से अधिक भुगतान) | सभी भुगतान प्राक्कलित राशि से दस प्रतिशत के अधीन था जिसके लिये सक्षम तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के बाद ही भुगतान किया गया था। अतः इसमें अधिक भुगतान का प्रश्न नहीं है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 1) चापाकल उखाड़–गाड़ का संदेहास्पद व अनियमित भुगतान। | सभी गाड़े गए चापाकलों की स्थल जाँच वार्ड पार्षद एवं कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा की गई थी। अतः इसमें अनियमित भुगतान का प्रश्न नहीं है। |
| | | 2) 23 स्थानों पर चापाकल उखाड़–गाड़ के विरुद्ध सिर्फ 8 स्थानों पर ही चापाकल उखाड़–गाड़ किया गया। | स्थल पर विवाद होने के कारण अभिकर्त्ता द्वारा सिर्फ 08 स्थानों पर ही चापाकल लगाया जा सका। |
| 18 | 18 | योजना में अनियमितता एवं अधिक भुगतान कार्य का अपूर्ण रहना। | कार्य पूर्ण किया जा चुका है। सभी अभिश्रव, मस्टर रौल एवं मापी पुस्तिका संबंधित संचिका में उपलब्ध है। इसे अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जायेगा। |
| 19 | 19 | बन्दोबस्ती की राशि 6.75 लाख जमा नहीं। | राशि वसूली के लिए कार्रवाई की गई है। |
| 20 | 20 | कबीर अन्त्येष्टि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (4.56 लाख) जमा नहीं करना। | उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए नोटिस निर्गत किया गया है। साक्ष्य संलग्न। |
| 21 | 21 | होल्डिंग का पुनरीक्षण एवं सड़कों का पुर्नवर्गीकरण नहीं किया जाना। | होल्डिंग पुनरीक्षण की कार्रवाई की जा रही है। |
| 22 | 22 | निर्माण श्रमिकों के कल्याणार्थ श्रम सेस की कटौती नहीं किया जाता (1.42 लाख) | उक्त योजनाएँ बहुत पुरानी है। निर्देशानुसार कटौती की जा रही है। साक्ष्य संलग्न। |
| 23 | 23 | बन्दोबस्ती की राशि पर 3 प्रतिशत की दर से देय मुद्रांक शुल्क की वसूली नहीं (1.47 लाख) | निर्देशानुसार मुद्रांक शुल्क की वसूली की जायेगी। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 24 | 24 | अनुदान की राशि का अवरुद्धीकरण। | सभी अवरुद्ध राशि का उपयोग अद्यतन किया गया है। इसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा। |
| 25 | 25 | टिन टिकट एवं टिन टिकट रसीद नहीं प्रस्तुत किया जाना। | पूर्ण लेखा रसीद एवं जमा प्रमाण पत्र के साथ अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा। |
| 26 | 26 | रॉयल्टी एवं वैट की कटौती की राशि 5.35 लाख जमा नहीं। | निर्देशानुसार वैट एवं रॉयल्टी की वसूली अद्यतन की जा रही है। (साक्ष्य संलग्न) |
| 27 | 27 | बजट प्राक्कलन<br>1) समय पर बजट प्राक्कलन नहीं बनाया जाना। | अब समय पर कजट प्राक्कलन बनाकर सरकार को भेजा जा रहा है। (साक्ष्य संलग्न) |
| | | 2) वास्तविक व्यय एवं प्राक्कलित व्यय में 10 प्रतिशत से ज्यादा का विचलन। | निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है। |
| 28 | 28 | योजना पंजी का संधारण नहीं किया जाना। | योजना पंजी का संधारण किया जा रहा है। साक्ष्य संलग्न। |
| 29 | 29 | सरकारी भवनों पर बकाया राशि। | बकाया राशि की वसूली के लिए सरकार को पत्र दिया गया है। साक्ष्य संलग्न। |
| 30 | 30 | निजी भवनों पर बकाया राशि | बकाया राशि की वसूली की जा रही है। |
| 31 | 31 | शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेस की राशि (10% काटकर) सरकारी खाते में जमा नहीं करना। | नगर परिषद की वित्तीय स्थिति सुधरने के बाद राशि सरकारी खाते में जमा कर दी जायेगी। |
| 32 | 32 | रसीद लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत | सभी रसीद कार्यालय में सुरक्षित है। इसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 33 | 33 | कम जमा/ नहीं जमा। | कुल राशि रोकड़पाल के पास जमा है एवं रोकड़पाल की रोकड़ बही में दर्ज है। रोकड़पाल द्वारा उक्त राशि के साथ उस तिथि की प्राप्त कुल राशि के साथ नगर परिषद कोष में जमा है। इसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा। |
| 34 | 34 | कार्यपालक से वार्ता | यह जवाब से संबंधित नहीं है। |
| 35 | 35 | अंकेक्षण परिणाम। | तथैव। |
| 36 | 36 | सामान्य अभ्युक्ति | अभ्युक्ति में दिये गए सुझाव के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। |

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, मधुबनी